कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./जी/ 2354 धमतरी,दिनांक: 22/04/2022

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग
(आकाशवाणी के पीछे सिरपुर भवन)
रायपुर (छ0ग0)

स्मरण पत्र

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act,1980 for Construction of high level bridge across Kajal River on Jawarra Road, area- 1.701 ha.- Regarding

संदर्भ :–1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्र./FC-I/IROCH -05/2021/438 दिनांक 03.01.2022

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–25/814 दिनांक 07.04.2022
3. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./जी/27 दिनांक 04.01.2022
4. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./जी/40 दिनांक 05.01.2022
5. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./जी/775 दिनांक 02.02.2022

⊗⊗⊗

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के माध्यम से धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् नगरी–जवर्रा मार्ग पर काजल नदी में उच्च स्तरीय पुल निर्माण रकबा 1.701 हे. वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर –19, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति 25 बिन्दुओं के शर्तानुसार प्रदान की गई है। इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 3 एवं 4 के द्वारा आपको प्रथम चरण स्वीकृति का 25 बिन्दुओं के शर्तो का पालन प्रतिवेदन तथा स्वीकृति के शर्त क्रमांक (iii) एवं (iv) के पूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की गणना कर राशि 2578735/– रूपये कैम्पा मद में ई–चालान के माध्यम से जमा कर पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है तथा इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 5 द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. के संदर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के दर का वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु पुनरीक्षण किया गया है, जिसके अनुसार प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक (iii) एवं (iv) के पूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि की गणना निम्नानुसार है :–

1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	1.710 X 8,78,787 = रू. 15,02,726/– (वर्ष 2022–23 में सिंचित वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दर के अनुसार रू. 8,78,787/– प्रति हे. की दर से)
2	प्रत्याशा मूल्य की राशि	1212621.00 रू. (1.701 हे. पर) (वरिष्ठ कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में गणना पत्रक के अनुसार)
	योग	रू. 27,15,347/–

क्रमशः

अतः आप उक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि कैम्पा मद में 'ई–चालान' के माध्यम से जमा कर चालान की पावती के साथ प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन अविलंब इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। वरिष्ठ कार्यालय या शासन द्वारा उक्त राशि में भविष्य में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो आपको पृथक से मांग पत्र पुनः प्रेषित किया जावेगा। शर्त क्र. ii, iii, iv,vii, ix, xi, , xviii, xxv पर विशेष ध्यान देकर पूर्ति करें।

वनमण्डलाधिकारी
धमतरी वनमंडल, धमतरी

पृ.क्रमांक/मा.चि. /जी/ 2355
धमतरी,दिनांक 22 /04/2022

प्रतिलिपि :–1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर 492002 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
धमतरी वनमंडल, धमतरी